Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Appeal No.- 55 /2025-26

Pramod Kumar Roy & Ors. .....Appellant

Versus

Nageshwar Sah .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.26	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–82/2024–25 में दिनांक–31.05.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित भूमि का विवरणः–	

मौजा	थाना नं0	कायमी खाता	सिकमी खाता	खेसरा	रकवा
लादुगढ़	90	54	15	813 702	1.17 ए0 00.48 ए0

अपीलकर्त्ता का कथन है कि :–

- प्रश्नगत वाद भूमि का सिकमी खतियान उनके (वादी) दादा पलट राय के नाम से दर्ज है जिसपर खेती कर उनके दादा जमीन मालिक को फसल बांटकर देते रहे। सिकमी खतियानधारी के वृद्ध हो जाने पर वादी के पिता एवं चाचा उक्त भूमि पर खेती कर 7/20 हिस्सा जमीन मालिक को फसल बांटने लगे।
- वादी के पिता बबूजन राय प्रश्नगत वाद भूमि पर अंचल अधिकारी, बनमनखी के कार्यालय में बी0टी0एक्ट के धारा 48(D) के तहत वाद सं0–100/99 दायर कर कायमी हक प्राप्त कर लिये, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, बनमनखी के न्यायालय में अपील वाद सं0–12/99 दायर किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी के अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी द्वारा उनके (वादी) पक्ष में पारित कायमी अधिकार के आदेश को खारिज कर दिया गया।
- उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध उनके (वादी) पिता बबूजन राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–761/2003 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपरोक्त दोनों न्यायालय के स्तर से पारित आदेश को खारिज करते हुए बबूजन राय को पुनः नये सिरे से वाद दायर करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में बबूजन राय द्वारा बी0टी0एक्ट की धारा 48(D) के तहत वाद दायर किया गया, जो कोविड के समय न्यायालय में नहीं जाने के कारण पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया।
- प्रश्नगत वाद भूमि के खतियानधारी ज्ञानचन्द साह के पुत्र ठाकुर प्रसाद साह के नाम से भू–हदबंदी वाद चला, जिसमें अधिसूचना सं0–2665, दिनांक–15.12.1988 के द्वारा 22 एकड़ 18 डी0 भूमि

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

को अधिशेष घोषित किया गया।

- विपक्षी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी के न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत उक्त जमीन के संदर्भ में उनके (विपक्षी) विरूद्ध वाद सं0–251(M)/2024 दायर किया गया, जिसमें विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–82/2024–25 में पारित आदेश दिनांक–31.05.2025 की सत्यापित प्रति।
- खतियान की छायाप्रति।
- भू–हदबंदी से संबंधित अधिसूचना सं0–2665, दिनांक–15.12.1988 की छायाप्रति।
- अनुमंडल दंडाधिकारी, बनमनखी द्वारा धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत वाद सं0– 251(M)/2024 में पारित आदेश दिनांक–12.12.2024 की छायाप्रति।

विपक्षी का कथन है कि :–

- वे (विपक्षी) प्रश्नगत वाद भूमि के कायमी खतियानधारी के वंशज हैं तथा उक्त खतियान में पलट राय का नाम गलती से सिकमी दखलकार के रूप में अंकित है।
- सिकमीदार पलट राय के वंशज द्वारा अंचल अधिकारी, बनमनखी के कार्यालय में बी0टी0एक्ट की धारा 48(D) के तहत दायर वाद में उनके (विपक्षी) अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में प्रश्नगत जमीन का कायमी हक प्रदान किया गया, जिसके आलोक में उनके (विपक्षी) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए उनके (विपक्षी) अपील को स्वीकृत कर प्रश्नगत जमीन पर वादी के कायमी हक को समाप्त किया गया।
- वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–761/2003 दायर किया गया, जिसमें वादी द्वारा लाये गये वाद को खारिज कर उन्हें (वादी) अंचल अधिकारी, बनमनखी के न्यायालय में 2 माह के अंदर नये सिरे से वाद दायर कर प्रश्नगत जमीन का कायमी हक प्राप्त करने का सुझाव दिया गया, परंतु वादी द्वारा उपरोक्त के आलोक में कोई वाद दायर नहीं किया गया।
- वादी द्वारा उन्हें (विपक्षी) दिनांक–10.10.2024 को प्रश्नगत जमीन से बेदखल करने के पश्चात उनके (विपक्षी) द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय के स्तर से उक्त वाद में नियमसंगत आदेश पारित किया गया।

निम्न न्यायालय का आदेश :–

- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, बनमनखी व अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा क्रमशः वाद सं0–100/99 एवं अपील वाद सं0–12/99 में पारित आदेश रद्द है तथा पूर्व की स्थिति के अनुसार विपक्षी के पिता के नाम से खतियान दर्ज है, जिसकी जमाबंदी भी चल रही है।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

- अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि विपक्षी को दखल–कब्जा दिलायें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नगत वाद में अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा वादी के कायमी हक को अस्वीकृत किया गया है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया, जिसमें दोनों न्यायालय (अचंल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी) के स्तर से पारित आदेश को खारिज करते हुए बी0टी0एक्ट की धारा 48(D) के तहत अंचल अधिकारी के समक्ष वाद दायर करने हेतु वादी को निदेशित किया गया, जिसे कोविड के समय न्यायालय में नहीं जाने के कारण पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपीलार्थी को बी0टी0एक्ट की धारा 48(D) के तहत अंचल अधिकारी, बनमनखी के समक्ष वाद दायर करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, बनमनखी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर वाद का विधिवत सुनवाई करते हुए 03 माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया